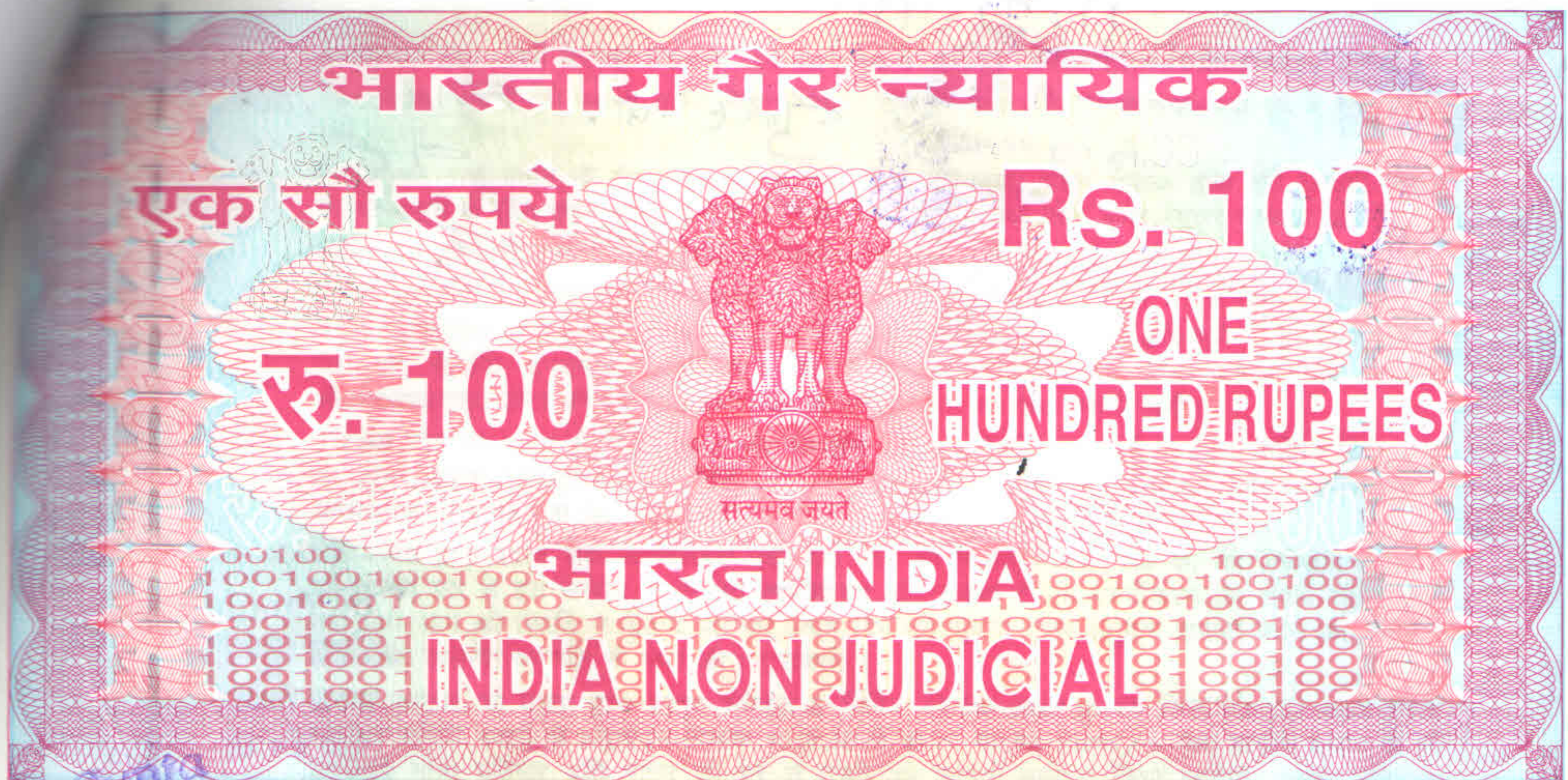




A. K. Gupta
Chief Medical Officer
Budaun

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 887344

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव— जिला स्वास्थ्य समिति जनपद— बदायूँ।

द्वितीय पक्ष— मै0 आर0पी0 इन्टरप्राइजेज, ए/273, आवास विकास कालौनी बदायूँ (सेवा प्रदाता)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0बी0एस0के0 के लिये वाहनों के संचालन हेतु स्वीकृत ई-निविदा के आधार पर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों का पालन करते हुये अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 13.07.18 से दो वर्ष तक मान्य होगी।

1. द्वितीय पक्ष को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये मेडिकल टीम हेतु 30 टैक्सी परमिट वाहन निम्न व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराने होंगे। 15 ब्लॉक चिकित्सा इकाईयों पर प्रत्येक इकाई पर 2 वाहन (प्रत्येक मेडिकल टीम के लिये एक वाहन)।
2. द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदाता) को सभी 30 वाहनों के टैक्सी परमिट होने व आर0सी0, बीमा, फिटनेस आदि के प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना होगा।
3. द्वितीय पक्ष को अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन माह में 25 दिन (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) एवं प्रतिदिन 8 घंटे नियमित रूप से नियमानुसार चिकित्सालय में सेवा हेतु उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में भी किया जा सकता है।
4. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रु0 1000.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा। वाहन की छोटी मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। जिसकी सूचना समय से कार्यालय में देनी होगी।
5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदाता) द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे ऐसा पाये जाने पर जमानत धनराशि जब्त करने व अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

क्रमशः.....2 पर

R.P. Enterprises
A/273-Avas-Vikas, Budaun
Mob-9410020424

Page 1 of 2

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर0 सी0 एच0; बदायूँ

Chief Medical Officer
BUDAUN

6. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन चालकों को ठीक ठाक यूनिफार्म में रहने के लिए निर्देशित किया जायेगा।
7. वाहन चालक एवं टैक्सी परमिट वाहन जिस मेडिकल टीम के साथ अटैच रहेंगे उन्हें बिना पूर्व में सूचना दिये नहीं बदला जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के मीटर कार्यरत हों तथा वाहन लॉगबुक, वाहन चालक द्वारा भरी जायेगी, टैक्सी परमिट वाहन के सीट कवर सफेद रंग के उपलब्ध कराये जायेंगे तथा सीट कवर रेगुलर धुलवाये जायेंगे।
9. द्वितीय पक्ष को सभी वाहन अनिवार्य रूप से जी0पी0आर0एस0 युक्त उपलब्ध कराने होंगे।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा इकाई को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण, लॉगबुक एवं जी0पी0आर0एस0 डाटा आर0बी0एस0के0 टीम लीडर के हस्ताक्षर सहित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर माह की समाप्ति उपरान्त बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रेषित किया जायेगा। जी0पी0आर0एस0 डाटा की एक प्रति प्रथम पक्ष को भी प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी।
11. मेडिकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। वाहनों को आवश्यकतानुसार आउटस्टेशन पर भी भेजा जा सकता है।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमानत धनराशि भी जब्त की जा सकती है।
13. द्वितीय पक्षकार को उनके द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत ई-निविदा दिनांक 06.07.18 एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति बदायूँ के अनुमोदन दिनांक 10.07.18 के अधार पर रु0 32291/- (रु0 बत्तीस हजार दो सौ इक्यानवे मात्र) प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से (सभी कर सहित) भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की धनराशि देय नहीं होगी।
14. द्वितीय पक्ष को कार्य की एक वर्ष की अनुमानित धनराशि रु0 11624760/- का 5 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में रु0 581238/- की बैंकर्स चेक/डी0डी0/बैंक गारंटी जो जिला स्वास्थ्य समिति बदायूँ के पक्ष में बंधक होगी, जो अनुबन्ध के दिनांक से 7 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा करना आवश्यक है तथा एक वर्ष पश्चात रिन्यूवल किया जायेगा। (बैंक गारंटी निविदा समाप्ति की तिथि से आगामी दो माह तक वैध हो)
15. टैक्सी परमिट वाहन प्रत्येक माह कम से कम 1000 कि0मी0 चलानी होगी। यदि वाहन 1000 कि0मी0 से कम चलता है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जायेगा। वाहन को गैराज से कार्यस्थल व कार्यस्थल से गैराज तक आने व जाने के लिये वास्तविक मीटर रीडिंग से अधिकतम 20 कि0मी0 अतिरिक्त देय होगा।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहनों में पर्याप्त मात्रा में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था करनी होगी तथा आर0बी0एस0के0 टीम से पी0ओ0एल0 की मांग नहीं की जायेगी।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये टैक्सी परमिट वाहनों के प्रपत्र व सूची ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय से सत्यापित करायी जायेगी, किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है।
18. द्वितीय पक्ष को बजट उपलब्ध होने के पश्चात एवं आवश्यक सरकारी देयकों को काटने के उपरान्त ही प्रथम पक्ष भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।
19. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. अनुबन्ध के समयान्तर्गत भारत सरकार स्तर से राज्य कार्ययोजना पर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात यदि किसी प्रकार के वित्तीय नियमों में परिवर्तन वांछनीय होता है तो द्वितीय पक्ष को संशोधित दिशा-निर्देश दिये जायेंगे जो उन्हें मान्य होंगे।
21. द्वितीय पक्ष को उक्त सभी शर्तों के साथ निविदा में दी गयी सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
22. उपरोक्त सभी शर्तें प्रथम व द्वितीय पक्ष को स्वीकार हैं।
23. किसी भी वाद-विवाद का निर्णय जनपद न्यायालय बदायूँ के अधीन मान्य होगा।

स्थान-बदायूँ
दिनांक-13.7.18

हस्ताक्षर..... (द्वितीय पक्ष सेवा प्रदाता)

R.P. Enterprises
A/273-Avas-Vikas, Budaun
Mob-9410020424

गवाह-

उमेश शर्मा
अवग हेतु जिलाधिकारी के
बदायूँ
9690807724

Chief Medical Officer
Budaun (प्रथम पक्ष)

क्षेत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर0बी0एस0 बदायूँ

Supportive Supervision Vehicle Status upto Sept. 2018

District- Budaun

Sl.No.	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Contract Period		E - Tender Rate approved	Vehicle With GPRS (Y/N)	Vehicle Payment Status (in Lakh)
					From	To			
1	Ambiyapur	OMNI	UP25CT8936 ✓	CC/STA/UP/2018/04807	01-08-18	31-07-20	Rs. 32500 / PER VEHICLE Per Month	YES	
2	Asafpur	OMNI	UP24T3458 ✓	CC/STA/UP/2017/01244	01-08-18	31-07-20		YES	
3	Bisoli	ALTO	UP24T5957 ✓	CC/STA/UP/2018/05075	01-08-18	31-07-20		YES	
4	Dataganj	ECCO	UP24T3475 ✓	UP/25/102/MCAB/2017/55	01-08-18	31-07-20		YES	
5	Dehgawan	OMNI	UP24T4514 ✓	UP/25/102/MCAB/2017/386	01-08-18	31-07-20		YES	
6	Islamnagar	OMNI	UP24T1521 ✓	UP/25/102/MCAB/2016/23	01-08-18	31-07-20		YES	
7	Jagat	ALTO	UP24T5935 ✓	CC/STA/UP/2018/04742	01-08-18	31-07-20		YES	
8	Mion	ALTO	UP24Z2307 ✓	CC/STA/UP/2018/04807	01-08-18	31-07-20		YES	
9	Qaderchowk	OMNI	UP24T5934 ✓	UP/25/CC/MOTO/2018/208	01-08-18	31-07-20		YES	
10	Sahaswan	OMNI	UP25BP1817 ✓	UP/25/102/MCAB/2017/452	01-08-18	31-07-20		YES	
11	Salarpur	ALTO	UP24T5936 ✓	CC/STA/UP/2018/04743	01-08-18	31-07-20		YES	
12	Samrer	ALTO	UP24T5940 ✓	UP/25/CC/MOTO/2018/207	01-08-18	31-07-20		YES	
13	Ujhani	ECCO	UP25CT6982 ✓	UP/25/AITP/2018/213	01-08-18	31-07-20		YES	
14	Usawan	ECCO	UP25BA9015 ✓	UP/25/102/MCAB/2017/348	01-08-18	31-07-20		YES	
15	Wazeerganj	INDICA	UP16CT1096 ✓	UP/25/CC/MOTO/2018/216	01-08-18	31-07-20		YES	
16	District Lebel	ALTO	UP24T5944 ✓	CC/STA/UP/2018/04807	01-08-18	31-07-20		YES	
17									
Total								YES	

[Signature]

[Signature]
Chief Medical Officer
District Budaun